

न्यायालय छप जिलाधिकारी सदर हरदोई

पत्रांक-57 / शजस्य अदालत - 2019 धारा-80 दिनांक/11/08/2019

1. श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371, आवास विकास, कालोनी हरदोई, परगना बंगर तहसील सदर हरदोई जिला हरदोई।

बनाम

1. उ० प्र० सरकार द्वारा कलेक्टर महोदय, हरदोई।

2. गाँव लामा / ग्राम मंचावल फरदापुर, परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई।

निर्णय

प्रस्तुत याच श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371, आवास विकास कालोनी हरदोई, परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई द्वारा अंतर्गत धारा 80 राजस्य संहिता 2006 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है की आराजी ग्राम लामा फरदापुर परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई के खतीनी के खाता संख्या-00180 पर गाटा संख्या-115 नि० रकबा-0.4090 हे० भूमि आराजी ग्राम फरदापुर का संक्रमणीय भाग है। प्रार्थी उपरोक्त प्रसंगत गाटा संख्या-115 नि० रकबा 0.4090 हे० भूमि श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन हरदोई के नाम दर्ज है। उक्त भूमि व्यवसायिक प्रयोजन में है तथा जिसका प्रयोग कृषि कार्य आदि में किया जा रहा है। उक्त भूमि जो अशुभिक घोषित किए जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आलोक में तहसीलदार सदर हरदोई से जांच कराई गई है। तहसीलदार सदर हरदोई की जांच आख्या दिनांक 11.08.2019 को प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेख है कि ग्राम फरदापुर परगना बंगर तहसील सदर जिला हरदोई श्री यदुनाथ सिंह के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.4090 स्थित श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रबंधक श्री यदुनाथ सिंह निवासी सी-371 आवास विकास कालोनी हरदोई ने गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.4090 की भूमि को अशुभिक करने की मांग की है। उक्त गाटा संख्या अभिलेखों में श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रबंधक के नाम दर्ज है उक्त गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.4090 संगान रू 16.75 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। स्थल श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन व उसकी चहारदीवारी बनी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया आवेदक द्वारा घालान संख्या 14 दिनांक 05.08.2019 ट्रेजरी घालान द्वारा 12270/-रु० भारतीय स्टेट बैंक हरदोई में जमा किया गया। जमा घालान की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, तथा 12500 रुपए न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट शुल्क के माध्यम से जमा कराकर उक्त गाटे संख्या-115 नि० रकबा 0.4090 हे० भूमि व उत्तर प्रदेश राजस्य संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत अशुभिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर

हरदोई की आख्या दिनांक 11.9.2019 के अपलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371, आवास विकास कालोनी, हरदोई, पन्ना, वंगर, तहसीलदार हरदोई द्वारा भूमि कृषि कार्य से भिन्न उपयोग में किए जाने के कारण अशुभ घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम करदापुर परगना वंगर तहसील जिला हरदोई की खतीनी खाता संख्या 00180 पर अंकित गाटा संख्या 115 नि 0 रकबा 0.4090 विकास कालोनी हरदोई, पन्ना, वंगर, तहसीलदार जिला हरदोई की कृषि कार्य न होने के कारण अंतर्गत धारा-80 राजस्व संहिता-2008 के अशुभ घोषित करते हुए मासगुजारी से मुक्त किया जाता है। आदेश तहसीलदार वंगर हरदोई को अभिलेखों में अमलदस्तावेज बनाकर छत्र प्रति पत्रावली पर रखने हेतु न्यायालय को भेजे। तहसीलदार वंगर हरदोई आदेश या अभिलेखों में अमलदस्तावेज करावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार हो।

दिनांक-21.10.2019

राजेश कुमार गुप्ता

उप जिलाधिकारी वंगर

हरदोई

राजेश कुमार गुप्ता

उप जिलाधिकारी वंगर

हरदोई

दिनांक 21.10.2019

राजेश कुमार गुप्ता

न्यायालय उप जिलाधिकारी कारर हरदोई

फर्मांक-२१४ / राजस्व अहलमद - 2019 धारा-80 दिनांक 29-12-2019

1. श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री यदुनाथ सिंह निवासी सी-371, आवास विकास कालोनी हरदोई, परमना बंगर हरदोई जिला हरदोई।
बंगर

1. उ० प्र० सरकार द्वारा कलेक्टर महोदय, हरदोई।

2. गांधी समा / ग्राम पंचायत फरदापुर, परमना बंगर तहसील व जिला हरदोई।
निर्णय

प्रस्तुत जद श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री यदुनाथ सिंह निवासी सी-371, आवास विकास कालोनी, हरदोई, परमना बंगर तहसील व जिला हरदोई द्वारा अंतर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2008 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है की आराजी ग्राम समा फरदापुर परमना बंगर तहसील व जिला हरदोई के तृतीनी के खाता संख्या-00136 पर गाटा संख्या-115 नि० रकबा-0.5450 हे० भूमि आराजी ग्राम फरदापुर का संक्रमणीय माम है। प्रार्थी उपरोक्त प्रसंगत गाटा संख्या-115 नि० रकबा 0.5450 हे० भूमि श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन हरदोई के नाम दर्ज है। उक्त भूमि व्यवसायिक उपयोग में है तथा जिराका प्रयोग कृषि कार्य आदि में किया जा रहा है। उक्त भूमि को अग्रणीक घोषित किए जाने की राचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र के आलोक में तहसीलदार सदर हरदोई से जांच कराई गई है। तहसीलदार सदर हरदोई की जांच आख्या दिनांक 11.08.2019 को प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख है कि ग्राम फरदापुर परमना बंगर तहसील सदर जिला हरदोई श्री यदुनाथ सिंह के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.5450 स्थित श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज आफ एजुकेशन द्वारा प्रबंधक श्रीमती सीमा सिंह निवासी सी-371 आवास विकास कालोनी हरदोई ने गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.5450 की भूमि को अग्रणीक करने की मांग की है। उक्त गाटा संख्या अनिलेखों में श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज आफ एजुकेशन द्वारा प्रबंधक के नाम दर्ज है उक्त गाटा संख्या 115 नि० रकबा 0.5450 लगान रु 22.35 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तबत श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन व उसकी महासदीयारी बनी है।

पत्रावली का अंतर्लोकन किया गया आदेशक द्वारा चालान संख्या 14 दिनांक 05.06.2019, ट्रेजरी मामलान द्वारा 15230/- से भारतीय स्टेट बैंक हरदोई में जमा किया गया। जमा चालान की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, तथा 18000 रुपये न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट शुल्क के माध्यम से जमा कराकर चाला गाटे संख्या-115 मि० रकमा 0.5460 हे० गुनि व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2008 की धारा 80 के अंतर्गत अक्षुण्ण घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर हरदोई की आख्या दिनांक 11.09.2019, के अंतर्लोकन से स्पष्ट है कि आवेदक श्रीमती सीमा सिंह न्यायिक अधिकारी गणनायक सिंह निवासी सी-371, आवास विकास कालोनी, हरदोई, पर०.प तह०. सदर जिला हरदोई, पर०.सदर जिला हरदोई द्वारा गुनि कृषि कार्ड से निम्न उपरोक्त जमा होने के कारण अक्षुण्ण घोषित किया जाना उचित है।



आदेश

आदेश किया जाता है कि ग्राम फरदापुर परगना बंगर तहसील जिला हरदोई की खतीनी खाता संख्या 00136 पर अंकित गाटा संख्या 115 मि० रकमा 0.5460 हे० पर अंकित खातेदार श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री गणनायक सिंह निवासी सी-371, आवास विकास, कालोनी हरदोई, पर०.प तह०.सदर जिला हरदोई की कृषि कार्ड न होने के कारण अंतर्गत धारा-80 राजस्व संहिता-2008 के अक्षुण्ण घोषित करते हुए मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। आदेश तहसीलदार सदर हरदोई को अभिलेखों में अमलदरामद करवाते सत प्रति पत्रावली पर रखने हेतु न्यायालय को भेजे। तहसीलदार सदर हरदोई आदेश का अभिलेखों में अमलदरामद कराये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार हो।

दिनांक 21.10.2019

रमेश कुमार गुप्ता

उप जिलाधिकारी सदर

हरदोई

उपनिर्देशक
 जिला हरदोई
 21-10-19